

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-666/दो-9-2018-17(2)/2018
लखनऊ : दिनांक : २६ अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज कुमार, पी0सी0एस0 जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2018 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को उनके आवेदन पत्र 31.01.2018 व दिनांक 05.03.2018 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(ड) सपटित नियम-17(1)(क) के अधीन भू-गृहादि अर्जन हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-70227 से रू0-21,50,000/- (रूपये इक्कीस लाख पचास हजार मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें **विशेष दशा** में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-666(1)/दो-9-2018, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- विशेष वाहक द्वारा-1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, फण्ड अनुभाग-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री राज कुमार, पी.सी.एस. अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2018 को सेवानिवृत्त होंगे। अतः उक्त अन्तिम निष्कासन की धनराशि का समायोजन अन्तिम भुगतान से पूर्व अवश्य कर लिया जाय।
- 2- इरला चेक अनुभाग।
 - 3- श्री राज कुमार, पी.सी.एस., विशेष सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
 - 4- नियुक्ति अनुभाग-2 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया श्री राज कुमार, पी.सी.एस. अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2018 को सेवानिवृत्त होंगे। अतः उक्त अन्तिम निष्कासन की धनराशि का समायोजन अन्तिम भुगतान से पूर्व अवश्य कर लिया जाय।
 - 5- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति।
 - ✓6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।